

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-21/02/2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवादा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, नवादा में विद्युत वायरिंग कार्य हेतु कुल रुपये 31,03,562/- (एकतीस लाख तीन हजार पाँच सौ बासठ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-3347, दिनांक-11.12.2017 एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-2, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1457, दिनांक-20.11.2017 से प्राप्त प्राक्कलन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवादा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, नवादा में विद्युत वायरिंग कार्य हेतु कुल रुपये 31,03,562/- (एकतीस लाख तीन हजार पाँच सौ बासठ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो ।
- (ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी ।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/ एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे ।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी ।
- (vi) भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय ।


(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं०-03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0001-शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड- 03-2059600530001, विषय शीर्ष- (27 02)-अनुरक्षण एवं मरम्मत, अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।



- (5) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक-03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक-01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक-29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
- (6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।
- (7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/गै0यो0-02-09/2017 के पृष्ठ-02/टि0 पर प्राप्त है ।
- (9) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।
- (11) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।


ज्ञापांक:-

1395 (10)

/स्वा0, पटना, दिनांक:- 21/02/2018

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-2, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/सिविल सर्जन, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव ।